न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 04/2019

प्रार्थी

श्रीमती नथुदेवी बेवा श्री केसाराम जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री चेनाराम जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री सीताराम जाति कलबी निवासी पुरानी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. सरपंच ग्राम पंचायत भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रकाश धवल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

निर्णय **दिनांक 29.11.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या तीन की ओर किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन गरडिया एवं श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत ने वकालतनामा पेश किया लेकिन उनके द्वारा दिनांक 10.11.2021 को नो इन्स्ट्रक्शन किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री प्रकाश धवल, अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या तीन ने अप्रार्थी संख्या एक के हक में पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी विधि विरूद्ध किया गया है। जिसकी पात्रता अप्रार्थी संख्या–एक नही रखता है। अप्रार्थी संख्या–एक को सदोष लाभ देने के नियत से बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये उक्त पट्टा जारी किया गया है जो कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत द्वारा उक्त प्रस्ताव पारित करने एवं पट्टा जारी करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की है। य[illegible] चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में पडत भूमि व प्रार्थिया के पति श्री केसाराम [illegible] बताया है। यह है कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थिया व [illegible] अनवरत कब्जा चला आ रहा है, जिसकी पुष्टि इससे होती है कि [illegible]र्थी संख्या दो ने प्रार्थिया व प्रार्थिया के पुत्र श्री रमेश के विरूद्ध एक दावा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश [illegible] में वास्ते कब्जा दिलाने का पेश किया, जिससे प्रथम [illegible] यह प्रतीत होता है कि [illegible] स्थल का आलौच्य पट्टा संख्या 002423 जारी किया उस स्थल पर वर्तमान में प्रार्थिया का कब्जा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो का कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही अप्रार्थी संख्या एक का उक्त स्थल से कोई लेना–देना है। यह है कि उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या तीन ग्राम पंचायत भावरी द्वारा जारी किया गया, उस समय ग्राम पंचायत भावरी में अप्रार्थी संख्या एक का पुत्र श्री राजेन्द्र सहायक सचिव के पद पर कार्यरत था, जिसने पद का दुरूपयोग करते हुए एवं नियम कायदों को ताक में रखकर प्रार्थिया के कब्जेशुदा भूखण्ड पर उक्त विवादित पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के नाम गलत रूप से जारी कर दिया। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक के पुत्र श्री राजेन्द्र ने ग्राम पंचायत भावरी में सहायक सचिव के पद पर रहते हुए उसी दिन चार पट्टे जारी किए जो उसके पिता चेनाराम के नाम पट्टा संख्या 002422 एवं माता श्रीमती सविता के नाम पट्टा संख्या 002423 और चाचा श्री कन्हैयालाल के नाम पट्टा संख्या 002424 एवं चाची श्रीमती श्रीमती लक्ष्मीदेवी के नाम पट्टा संख्या 002425 गलत रूप से जारी किए गए थे। यह है कि उक्त पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक का इन्द्रा कॉलोनी सरूपगंज में मकान होते हुए भी उक्त पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा आम चौराहा पडौसीयान नोटिस बोर्ड पर भी कोई आपत्ति नोटिस चस्पा किया है लेकिन किस तारीख को नोटिस को चस्पा किया गया है, अंकित नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त विवादित पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया एवं श्री चन्द्रप्रकाश कूम्पावत ने वकालतनामा पेश किया लेकिन उनके द्वारा दिनांक 10.11.2021 को नो इन्स्ट्रक्शन किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन के द्वारा भी किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में पुराने कब्जेशुदा भूमि/भवन का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पंचायत की बैठक मे सर्व सम्मति से लिया जाकर अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 002423 दिनांक 17.12.2009 को 1000 वर्गफीट का 200/–रूपये प्राप्त कर जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भावरी द्वारा उक्त [illegible] दिनांक 17.12.2009 को अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(2) के तहत ज[illegible] एवं अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टे की भूमि/भूखण्ड का आधा [illegible] माली एवं शेष आधा भाग अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती सवितादेवी पत्नि [illegible] सीताराम जाति कलबी निवासी पुरानी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को विक्रय कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थिया द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या एक श्रीमती सविता देवी पत्नि श्री चेनाराम जाति सरगरा निवासी सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं अप्रार्थी संख्या दो श्रीमती सविता पत्नि श्री सीताराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जाति कलबी निवासी पुरानी भावरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही एवं ग्राम पंचायत भावरी को ही पक्षकार बनाया है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पट्टे की भूमि/भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या दो एवं श्री राजेश कुमार पुत्र श्री डासुराम माली को विक्रय किया है जबकि प्रार्थिया ने श्री राजेश कुमार पुत्र श्री डासुराम माली को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः उक्त प्रकरण में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री डासुराम माली को भी पक्षकार बनाया जाना न्यायसंगत होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थिया चाहे तो उक्त पट्टे से संबंधित पक्ष को पक्षकार बनाकर नए सिरे से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner